भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1160

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक

1160. श्री भोला सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अन्य देशों की तरह भारत का अपना कार्बन व्यापार बाजार बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कार्बन व्यापार योजना को कार्यान्वित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से विधान में परिवर्तन करने का विचार है, जिसमें ऐसे सभी मौजूदा व्यापार योग्य प्रमाण-पत्र समाहित हो जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का स्वैच्छिक बाजार से आरंभ करने और धीरे-धीरे 'कैप एंड ट्रेड' में बदलाव करने का विचार है, जहां उद्योगों को यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के बाजारों की तरह उत्सर्जन लक्ष्य दिए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा निर्यातक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं और उत्सर्जन में कमी के लिए वित्त अवसरों को बढ़ावा देने के संबंध में कार्बन व्यापार बाजार स्थापित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : संसद ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है और यह दिनांक 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया है। इसमें "कार्बन व्यापार ट्रेडिंग स्कीम निर्दिष्ट करना" संबंधी प्रावधान शामिल हैं। कार्बन व्यापार स्कीम का डिजाइन सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, जिसमें व्यापार योग्य प्रमाण पत्रों की मौजूदा स्कीमों को एकल राष्ट्रीय कार्यढांचे में बदलना शामिल है। इन नियमों के अनुसरण में, कोई भी पंजीकृत कंपनी, इन कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों को खरीदने या बेचने की हकदार होगी।

(ङ) और (च) : वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय/ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) कार्बन क्रेडिट के निर्यात पर किसी प्रकार के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने *"पेरिस करार के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण (एनडीएआईएपीए)' अधिसूचित किया है, जो प्रकार्यों की व्यवस्था तथा निष्पादन करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पेरिस करार के अनुच्छेद 6 से संबंधित प्रासंगिक नियमों और तौर-तरीकों तथा कार्यपद्धतियों में निर्धारित किए दए दिशानिर्देशों और सामान्य मापदंडों के अनुसार परियोजनाएं प्राप्त करना अथवा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियां करना तथा मेजबान पक्षकारों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है।*

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1175

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

डिस्कॉम का बकाया

1175. श्री मोहन मंडावी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री अरूण साव:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री देवजी पटेल:
श्री विजय बघेल:
श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित वर्तमान में विद्युत कंपनियों (डिस्कॉम) की उत्पादन कंपनियों (जेनकॉस) के लिए कुल देय राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्यों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के संगत प्रावधानों को लागू करने का विचार है ताकि करों में संबंधित राज्यों के हिस्से से बकाया राशि को घटाकर बकाया राशि की वसूली की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 30.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता (अर्थात् स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एवं नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों) की ओर से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की कुल देय राशियां इस प्रकार हैं: -

क्र.सं.	विवरण	राशि करोड़ रुपए में
1	शेष पिछली देय राशियां (6 ईएमआईयों के भुगतान के पश्चात)	1,01,158.66
2	वर्तमान देय राशियां (विवादित को छोड़कर और डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि से पहले)	34,359.18
3	डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि के बाद विवादित राशियों को छोड़कर अतिदेय राशियां	25.20

दिनांक 30.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉमों द्वारा और प्राप्ति पोर्टल पर दी गई कुल देय राशियों के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए है।

(ख) और (ग) : देय राशियों के भुगतान में निरंतर चूक होने के मामलों में, केंद्र सरकार देय राशियों की वसूली के लिए केंद्र, आरबीआई और राज्य सरकार के बीच त्रि-पक्षीय करार (टीपीए) करती है।

(घ) : डिस्कॉमों से उत्पादन कंपनियों की प्राप्ति योग्य बकाया राशियों से उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह की समस्याओं को पहचानते हुए और विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में भुगतान अनुशासन लागू करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 लागू किए हैं। इन नियमों में डिस्कॉमों के लिए दिनांक 03.06.2022 को विद्यमान अपनी पिछली देय राशियों का समयबद्ध ढंग से, बराबर मासिक किश्तों में दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंबित भुगतान अधिभार की गैर-प्रयोज्यता के लाभों के साथ, निपटान करने की बाध्यता की गई है। इन नियमों में भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना के माध्यम से वर्तमान देय राशियों के समयबद्ध निपटान के लिए एक कार्य-ढांचा और खुली पहुँच की क्रमिक निकासी के निरुत्साहन के साथ-साथ, विदयुत विनियमों, यदि इन नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो, का प्रावधान भी किया गया है। उत्पादन कंपनियों को अपनी पिछली देय राशियों का भुगतान करने के लिए डिस्कॉम पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के अंतर्गत, स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉमों के मूल्यांकन के लिए परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिस्कॉमों द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन करना निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉमों/ट्रांसकोज़/जेनकोज़ को कार्यशील पूंजीगत ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत दिशानिर्देश लागू किए हैं। इसमें अनिवार्य रूप से यह वर्णन है कि डिस्कॉमों और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों को ऋण निर्धारित शर्तों के निमित्त उनके निष्पादन पर निर्भर करेगें। अन्य शर्तों के साथ-साथ विवेकसम्मत मापदंडों में, डिस्कॉमों द्वारा एलपीएस नियमों का अनुपालन शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने डिस्कॉमों/ट्रांसकोज़/जेनकोज़ को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित अतिरिक्त विवेकसम्मत मापदंड अपनाने और इन्हें लागू करने हेतु अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से भी अनुरोध किया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 30.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों और प्राप्ति पोर्टल से उपलब्ध कुल देयराशियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम्स	राशि करोड़ रूपये में		
			पिछली देयराशियां	वर्तमान देयराशियां (विवादित और डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि से पहले को छोड़कर)	अतिदेय राशियां ट्रिगर तिथि के बाद विवादित को छोड़कर
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	8,568.37	28.48	-
		आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड		53.86	-
		आंध्र प्रदेश पावर परचेज कॉर्डिनेशन समिति		945.03	0.13
		आंध्र प्रदेश साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड		251.45	0.09
2	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट	-	52.37	-
3	असम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	507.77	-
4	बिहार	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	214.76	885.14	-
		साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	273.58	1,056.67	-
5	चंडीगढ़	चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट	-	7.17	0.02
6	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	3,537.70	844.74	0.00
7	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	-	283.70	-
		बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	-	62.62	-
		दिल्ली टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	-	436.13	-
		नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	-	0.84	-
8	दादरा नगर एवं हवेली और दमन एवं दीप	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	265.53	-
9	गोवा	गोवा पावर डिपार्टमेंट	-	56.27	-
10	गुजरात	गुजरात ऊर्जाविकास निगम लिमिटेड	-	2,709.84	0.00
11	हरियाणा	हरियाणा पावर परचेज सेंटर	-	1,099.14	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	-	199.65	-
13	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	10,081.44	376.76	0.06
14	झारखंड	झारखंड बिजली निगम लिमिटेड	4,420.20	450.53	-
15	कर्नाटक	बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	6,274.50	1,162.09	0.22
		चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,091.80	245.24	-
		गुलबरगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	1,761.68	329.56	-
		हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2,077.96	530.25	0.24
		मंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	109.62	23.18	-

16	केरल	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	-	872.15	12.13*
17	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	7,224.67	2,330.93	0.01
18	महाराष्ट्र	बेस्ट अंडरटेकिंग	-	2.14	-
		महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	14,963.44	3,738.74	0.00
19	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	80.63	64.11	0.03
20	मेघालय	मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	75.81	-
21	मिजोरम	मिजोरम पावर डिपार्टमेंट	-	54.60	12.49**
22	नागालैंड	नागालैंड पावर डिपार्टमेंट	-	56.50	-
23	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	-	627.18	-
24	पुद्दुचेरी	पुद्दुचेरी पावर डिपार्टमेंट	-	189.78	-
25	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	1,699.22	-
26	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,343.60	699.38	-
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5,523.18	1,038.92	-
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	5,177.77	890.19	-
27	सिक्किम	सिक्किम पावर डिपार्टमेंट	-	7.49	-
28	तमिलनाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,752.71	4,132.46	-
29	तेलंगाना	तेलंगाना स्टेट नॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	2,035.51	344.67	-
		तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	4,897.53	1,179.02	-
30	त्रिपुरा	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	135.11	-
31	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,748.00	3,962.55	-
32	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	47.96	-
33	पश्चिम बंगाल	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	-	65.28	-
		पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	559.79	-
	कुल जोड़		**1,01,158.66**	**34,359.18**	**25.20**

*केरल राज्य ने अतिदेय राशि का भुगतान किया और वर्तमान में नियमों के अनुसार विनियमन के अधीन नहीं है।

**नियमों के अनुसार मिजोरम राज्य विनियमों के अधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1196

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

अवैध विद्युत कनेक्शनों की समस्या

1196. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पूरे देश में अवैध विद्युत कनेक्शनों और बिजली चोरी की अनवरत समस्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिजली की चोरी का विद्युत क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अवैध कनेक्शनों और बिजली की चोरी के अन्य मामलों के कारण हुई तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का राज्यों के परामर्श से देश में बिजली की चोरी रोकने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : अवैध विद्युत कनेक्शनों और विद्युत की चोरी विद्युत की खराब गुणवत्ता जैसे परिणामी प्रभावों से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि डिस्कॉमों के निष्पादन के प्रमुख संकेतकों में से एक है, जिसमें विद्युत चोरी का प्रभाव भी शामिल है। विद्युत चोरी रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करना संबंधित वितरण यूटिलिटियों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराकर राज्यों/वितरण यूटिलिटियों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। एटीएंडसी हानियों को

कम करने और विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के लिए, भारत सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का लक्ष्य, अखिल भारतीय आधार पर, एटीएंडसी हानियों को वर्ष 2024-25 तक 12-15% की श्रेणी तक कम करना है।

(ग) : अवैध कनेक्शन और विद्युत की चोरी विद्युत वितरण यूटिलिटियों की एटी एंड सी हानियां होने के कई कारणों में से एक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित 'पावर यूटिलिटीज के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-22 के दौरान, विभिन्न कारकों के कारण देश में हुईं कुल एटीएंडसी हानियां नीचे दी गई हैं:

राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 (अनंतिम)**
एटी एंड सी हानियां (%)	21.64	20.73	22.32	16.68

एटीएंडसी हानियों के राज्य-वार तथा यूटिलिटी-वार आंकड़े **अनुबंध** में दिए गए है।

(घ), (ङ) और (च) : भारत सरकार द्वारा विद्युत की चोरी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत के अनधिकृत उपयोग और चोरी से संबंधित विशिष्ट प्रावधान(धारा 126 और धारा 135 से 140) हैं, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा कड़े दंडात्मक प्रावधान और त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान (विद्युत अधिनियम 2003 का भाग XV) शामिल है।

ii. आरडीएसएस के अंतर्गत, मार्च, 2025 तक 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने और संचार सुविधाओं के साथ सिस्टम मीटरिंग के लिए पात्र डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत, चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए स्मार्ट मीटर के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करने और प्रणाली से उत्पन्न ऊर्जा लेखाकंन रिपोर्टों से कार्रवाई योग्य एमआईएस तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) जैसी उन्नत आईसीटी का लाभ उठाया जाएगा ताकि डिस्कॉमों को हानि में कमी के साथ-साथ विद्युत चोरी के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

iii. साथ ही, स्कीम के अंतर्गत, एबीसी केबल/यूजी केबल/एचवीडीएस आदि के उपयोग से हानियों और विद्युत चोरी को कम करने के उपायों सहित वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए पात्र डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे विद्युत की चोरी सहित वितरण यूटिलिटियों की हानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

iv. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी फीडर वार कटौती आंकड़े, कटौतियों को कम करने के लिए किए गए प्रयासों, विद्युत की चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग अथवा इसमें छेड़छाड़, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों अथवा मीटर को संकट या क्षतिग्रस्त होने से रोकने और वर्ष के दौरान प्राप्त परिणामों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का प्रबंध करेगा।

v. टैरिफ नीति, 2016 में यह परिकल्पना की गई है कि विद्युत की चोरी को कम करने के लिए, वितरण कंपनियों के पास वितरण प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रकार्यों के साथ वितरण स्काडा जैसी सक्षम सुविधा होनी चाहिए।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटी एंड सी हानियों के राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरे

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**23.43**	**23.34**	**51.94**
आंध्र प्रदेश	**25.67**	**10.77**	**27.25**
अरुणाचल प्रदेश	**52.53**	**40.49**	**44.87**
असम	**20.19**	**23.39**	**18.73**
बिहार	**33.30**	**39.95**	**35.33**
चंडीगढ़	**13.50**	**15.86**	**11.89**
छत्तीसगढ़	**24.96**	**18.46**	**20.40**
दादरा एवं नगर हवेली	**5.45**	**3.56**	**5.17**
दमन एवं दीव	**6.19**	**4.07**	**4.48**
गोवा	**17.61**	**11.41**	**12.94**
गुजरात	**14.05**	**11.79**	**11.91**
हरियाणा	**18.08**	**18.26**	**17.05**
हिमाचल प्रदेश	**12.46**	**13.33**	**14.02**
जम्मू एवं कश्मीर	**49.94**	**60.46**	**59.28**
झारखंड	**28.33**	**37.13**	**41.36**
कर्नाटक	**19.82**	**17.58**	**15.36**
केरल	**9.10**	**13.12**	**7.76**
लक्षद्वीप	**26.82**	**13.69**	**11.63**
मध्य प्रदेश	**36.63**	**30.38**	**41.47**
महाराष्ट्र	**15.80**	**19.24**	**26.55**
मणिपुर	**25.26**	**23.30**	**20.33**
मेघालय	**35.22**	**31.67**	**30.88**
मिजोरम	**16.20**	**20.66**	**36.53**
नागालैंड	**65.73**	**64.79**	**60.39**
ओडिशा	**31.55**	**28.94**	**29.32**
पुद्दुचेरी	**19.77**	**18.45**	**19.92**
पंजाब	**11.28**	**14.35**	**18.03**
राजस्थान	**28.25**	**29.86**	**26.23**
सिक्किम	**41.83**	**28.77**	**29.37**
तमिलनाडु	**17.86**	**15.00**	**13.81**
तेलंगाना	**18.41**	**21.92**	**13.33**
त्रिपुरा	**38.03**	**35.71**	**37.36**
उत्तर प्रदेश	**33.19**	**30.05**	**27.45**
उत्तराखंड	**17.45**	**20.35**	**15.39**
पश्चिम बंगाल	**23.00**	**20.40**	**21.35**
राज्य क्षेत्र	**22.44**	**21.50**	**23.01**
दिल्ली	**9.12**	**8.26**	**8.87**
बीआरपीएल	9.04	8.33	9.70
बीवाईपीएल	10.76	8.54	9.41
टीपीडीडीएल	7.99	7.96	7.39
गुजरात	**5.20**	**4.59**	**6.46**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	5.81	5.07	6.76
टोरेंट पावर सूरत	3.71	3.43	5.66
महाराष्ट्र	**8.11**	**9.06**	**8.85**
एईएमएल	8.11	9.06	8.85
उत्तर प्रदेश	**9.36**	**9.73**	**9.77**
एनपीसीएल	9.36	9.73	9.77
पश्चिम बंगाल	**9.23**	**9.25**	**13.17**
सीईएससी	9.73	9.52	14.04
आईपीसीएल	2.68	5.87	3.52
निजी क्षेत्र	**8.29**	**7.95**	**9.27**
कुल जोड़	**21.64**	**20.73**	**22.32**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1204

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

स्वतंत्र विद्युत उत्पादक

1204. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों पर देय कुल राशि और तमिलनाडु सरकार द्वारा देय राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनी तमिलनाडु जेनेरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईएनडीसीओ) ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज (आईएलएफएस) की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि तक कितनी राशि वसूल की गई है और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों पर कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु को रियायती दर पर विद्युत प्रदान करेगी क्योंकि राज्य आज की तिथि के अनुसार राज्य विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) वन नेशन वन ग्रिड के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(छ) संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक ग्रिड को लाने की अनुमानित तिथि क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों तथा प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) पर विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की कुल देय राशियां नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	**विवरण**	**सभी डिस्कॉमों की कुल आईपीपी देय राशियां (करोड़ रुपए में)**	**टैंजेडको की कुल आईपीपी देय राशियां (करोड़ रुपए में)**
1	शेष पिछली देय राशियां (6 ईएमआईयों के भुगतान के पश्चात)	14,953.40	6,595.23
2	वर्तमान देय राशियां (डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि ** से पहले और विवादित राशि को छोड़कर)	7,619.78	987.31

*विरासती देय राशियां: विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार, दिनांक 3 जून, 2022 से पहले की देय राशियां

**डिफॉल्ट ट्रिगर तिथि: नियमानुसार, वर्तमान देय राशियों का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, भुगतान की देय तारीख के पश्चात एक माह या उत्पादन कंपनी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ढाई माह, जैसा भी मामला हो, जो भी बाद में आए।

(ख) और (ग) : तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टैंजेडको) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) की कुल देय राशियां नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	**टैंजेडको पर आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड की देय राशियां**	**राशि (करोड़ रुपए में)**
1.	पिछली देय राशियां (6 ईएमआईयों के भुगतान के पश्चात)	1,815.82
2.	वर्तमान देय राशियां (डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि से पहले और विवादित राशि को छोड़कर)	199.95

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार, समुचित विद्युत विनियामक आयोग किसी उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत के पारेषण, विद्युत की व्हीलिंग और विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और टैरिफ नीति में समुचित आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निबंधन एवं शर्तें उपलब्ध हैं।

(च) और (छ) : प्रारंभ में, राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों का एकीकरण शुरू करने के लिए, नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए एचवीडीसी लिंक के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ा गया था। वर्ष 1992 में पूर्वी क्षेत्र (ईआर)-उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के बीच प्रथम अंतर-क्षेत्रीय एसी लिंक (220 केवी) स्थापित किया गया था। पूर्वी क्षेत्र-पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने वाली 400 केवी राउरकेला-रायपुर डबल सर्किट (डी/सी) लाइन की स्थापना के साथ वर्ष 2003 में बड़े स्तर पर ग्रिड एकीकरण शुरू हुआ। वर्ष 2013 में 765 केवी सोलापुर-रायचूर लाइनों को शुरू करने, पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)-दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) को जोड़ने, "वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रीक्वेंसी" को पूरा करने के पश्चात सिंक्रोनस नेशनल ग्रिड की स्थापना की गई थी। जनवरी, 2019 में, 220 केवी श्रीनगर-लेह पारेषण प्रणाली चालू की गई थी, जिसने दूरस्थ लेह क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1205

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी धनराशि

1205. श्री तोखेहो येपथोमी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नागालैंड राज्य में मार्च, 2018 से दिसंबर, 2022 तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त विद्युत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और सौभाग्य के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। पिछली किस्तों में जारी की गई निधियों के सूचित किए गए उपयोग तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किस्तों में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की गईं। डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई थीं। डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य तथा आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत/जारी की गई निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत नागालैंड को जारी (और उपयोग किया गया) अनुदान							
स्कीम	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**कुल**	**उपयोग किया गया**
सौभाग्य	34	0	0	15	0	49	49
डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त इंफ्रा सहित)	55	24	11	51	-	141	118

आईपीडीएस: आईपीडीएस के अंतर्गत, उप-पारेषण एवं वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों (एसटीएंडडी) तथा उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) के लिए परियोजनाओं को नागालैंड के दो (02) सर्किलों के लिए संस्वीकृत किया गया था, जिसमें 12 पात्र शहर शामिल थे। परियोजनाओं के मार्च, 2022 की अंतिम समय-सीमा के भीतर राज्य द्वारा पूर्ण तथा समाप्त होने की घोषणा कर दी गई है। परियोजना-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपये में)

परियोजना	**परियोजना समापन लागत**	**परियोजना समापन लागत के आधार पर भारत सरकार का अनुदान**	**भारत सरकार का संवितरित संचयी अनुदान**
एसटीएंडडी	115	98	96
ईआरपी	16	13	12
कुल	131	111	108

आईपीडीएस के अंतर्गत नागालैंड के लिए संस्वीकृति तथा संवितरण के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**परियोजना समापन लागत (संचयी)**	**भारत सरकार का संस्वीकृत अनुदान (संचयी)**	**भारत सरकार का संवितरित अनुदान**
वित्तीय वर्ष 2016-17	131	111	4
वित्तीय वर्ष 2017-18			7
वित्तीय वर्ष 2018-19			8
वित्तीय वर्ष 2019-20			74
वित्तीय वर्ष 2020-21			-
वित्तीय वर्ष 2021-22			16
कुल	131	111	108

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)- राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कायापलट के लिए नवंबर, 2015 में उदय की शुरुआत की गई थी। उदय के अंतर्गत, भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं था।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम: जो एक सुधार-आधारित तथा परिणाम-संबद्ध स्कीम" है, की शुरूआत वित्तीय रूप से संवहनीय तथा प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से दिनांक 30.06.2021 को की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना तथा एसीएस-एआरआर अंतरालों को समाप्त करना है। आरडीएसएस के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों और हानि को कम करने संबंधी कार्यों को हाल ही में संस्वीकृति दी गई है। नागालैंड राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

(करोड़ रुपये में)

स्मार्ट मीटरिंग कार्य - संस्वीकृति के ब्यौरे						हानि को कम करने संबंधी कार्य - संस्वीकृति के ब्यौरे							
परियोजना लागत	पीएमए प्रभार	पीएमए सहित परियोजना लागत	परियोजना के लिए जीबीएस (प्रोत्साहन और पीएमए को छोड़कर)	चरण -1 के लिए प्रोत्साहन	पीएमए के लिए जीबीएस	पीएमए सहित परियोजना लागत के लिए जीबीएस	परियोजना लागत	पीएमए प्रभार	पीएमए सहित परियोजना लागत	परियोजना के लिए जीबीएस	पीएमए के लिए जीबीएस	पीएमए सहित परियोजना लागत के लिए जीबीएस	प्रतिभाग संबंधी वित्तपोषण
206.41	1.16	207.57	46.44	12.18	1.044	47.484	385.4	5.78	391.18	346.86	5.202	352.062	39.118

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1210

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

नए कोयला चालित संयंत्र

1210. श्री मनोज कोटक:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम उत्पादन लागत के कारण कोयले से चलने वाले नए संयंत्रों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले से चलने वाले नए ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पहले से मौजूद संयंत्रों की विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, "कोई भी उत्पादन कंपनी निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।" केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत संयंत्रों की क्षमता वृद्धि की निगरानी करता है। देश में कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए 12580 मेगावाट (मेगावाट) की क्षमता वाली 8 केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं और 13660 मेगावाट की क्षमता वाली 11 राज्य क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन संयंत्रों के स्थान का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय के पास विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले ताप संयंत्रों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

भारत में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

(दिनांक 25.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	एलओए तिथि	प्रत्याशित परीक्षण की तिथि
केंद्रीय क्षेत्र							
1	बाढ़ एसटीपीपी-I	बिहार	एनटीपीसी	यू-2	660	मार्च-2005	मार्च-2023
				यू-3	660	मार्च-2005	मार्च-2024
2	उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी	झारखंड	एनटीपीसी	यू-2	660	फरवरी-2014	नवंबर-2023
				यू-3	660	फरवरी-2014	मार्च-2024
3	तेलंगाना एसटीपीपी चरण- I	तेलंगाना	एनटीपीसी	यू-1	800	फरवरी-2016	फरवरी-2023
				यू-2	800	फरवरी-2016	जून-2023
4	तलचेर टीपीएस, चरण-III	ओडिशा	एनटीपीसी	यू-1	660	सितंबर-2022	नवंबर-2026
				यू-2	660	सितंबर-2022	मई-2027
5	पतरातू एसटीपीपी	झारखंड	पीवीयूएनएल	यू-1	800	मार्च-2018	जून-2024
				यू-2	800	मार्च-2018	दिसंबर-2024
				यू-3	800	मार्च-2018	मार्च-2025
6	बक्सर टीपीपी	बिहार	एसजेवीएन	यू-1	660	जून-2019	दिसंबर-2023
				यू-2	660	जून-2019	मार्च-2024
7	घाटमपुर टीपीपी	उत्तर प्रदेश	एनयूपीपीएल	यू-1	660	अगस्त-2016	मई-2023
				यू-2	660	अगस्त-2016	अगस्त-2023
				यू-3	660	अगस्त-2016	नवंबर-2023
8	खुर्जा एससीटीपीपी	उत्तर प्रदेश	टीएचडीसी	यू-1	660	अगस्त-2019	फरवरी-2024
				यू-2	660	अगस्त-2019	अगस्त-2024
	उप-जोड़				**12580**		
राज्य क्षेत्र							
9	एन्नोर एससीटीपीपी	तमिलनाडु	टेनजेडको	यू-1	660	सितंबर-2014	मार्च-2024
				यू-2	660	सितंबर-2014	मई-2024
10	उत्तरी चेन्नई टीपीपी चरण-III	तमिलनाडु	टेनजेडको	यू-1	800	जनवरी-2016	मार्च-2023
11	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I	तमिलनाडु	टेनजेडको	यू-1	660	दिसंबर-2017	मार्च-2024
				यू-2	660	दिसंबर-2017	जून-2024
12	यदाद्री टीपीएस	तेलंगाना	टीएसजेनको	यू-1	800	अक्तूबर-2017	जून-2023
				यू-2	800	अक्तूबर-2017	अगस्त-2023
				यू-3	800	अक्तूबर-2017	दिसंबर-2023
				यू-4	800	अक्तूबर-2017	अप्रैल-2024
				यू-5	800	अक्तूबर-2017	अगस्त-2024
13	जवाहरपुर एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	दिसंबर-2016	जून-2023
				यू-2	660	दिसंबर-2016	दिसंबर-2023
14	ओबरा-सी एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	दिसंबर-2016	जून-2023
				यू-2	660	दिसंबर-2016	दिसंबर-2023
15	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	मार्च-2018	जनवरी-2024
16	डॉ. नाला टाटा राव टीपीएस चरण-V	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	यू-1	800	दिसंबर-2015	मार्च-2023
17	श्री दामोदरन संजीवाय टीपीपी चरण-II	आंध्र प्रदेश	एपीपीडीसीएल	यू-1	800	नवंबर-2015	फरवरी-2023
18	भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	महाजेनको	यू-6	660	जनवरी-2018	जून-2023
19	सागरदीघी ताप विद्युत संयंत्र फेज-III	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-1	660	दिसंबर-2018	सितंबर-2024
	उप-जोड़				**13660**		
	कुल जोड़				**26240**		

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1223

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य संकेत

1223. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रीन मार्केट को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों के संकेत देने हेतु सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) ग्रीन डे अहेड मार्केट (जी-डीएएम) और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जी-टीएएम) जैसे नए उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या-क्या लाभ होना अपेक्षित है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन मार्केट को मजबूत करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों के संकेत उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र के विनियंत्रण के लिए, अर्थात आरई की उपलब्धता और उपयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा लंबे समय से खुली पहुंच के विकास में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए, विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 जारी किए गए हैं। ये नियम खुली पहुंच सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर देते हैं, जो छोटे उपभोक्ताओं के लिए भी आरई खरीदने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है।

2. विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि मस्ट रन विद्युत संयंत्र से विद्युत आपूर्ति में कटौती करने की स्थिति में, आरई उत्पादक को पावर एक्सचेंज में विद्युत विक्रय करने और लागत की वसूली करने की भी अनुमति दी गई है।

3. दिनांक 30 जून, 2025 तक परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर हानियों और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की छूट नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत क्रय को सस्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी।

4. रियल टाइम मार्केट (आरटीएम) की शुरुआत जून, 2020 में की गई थी, इससे डिस्कॉम/क्रेता एक घंटे की अग्रिम सूचना देकर विद्युत क्रय कर सकते हैं और आरई उत्पादन के अनियमित तथा परिवर्तनशील स्वरूप के कारण ग्रिड प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

5. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) तथा ग्रीन डे अहेड मार्केट (जी-डीएएम) विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से हरित ऊर्जा की खरीद को सक्षम बनाते हैं, जिन्हें बाध्यकारी संस्थाओं के नवीकरणीय क्रय दायित्व के रूप में माना जाता है।

6. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) बाजार को दिनांक 5 दिसंबर, 2022 से पुनः अभिकल्पित किया गया है। आरईसी अवधि को किसी आधार तथा सहिष्णु मूल्य के बिना निरंतर बढ़ाया गया है। यह बाजार भी सौर तथा गैर-सौर खंडों के बजाय एकल आरईसी बाजार के साथ प्रतिस्थापनयोग्य बन गया है।

विद्युत एक्सचेंज में मौजूदा डे अहेड मार्केट (डीएएम) खण्ड के साथ-साथ, अक्तूबर, 2021 से नवीकरणीय ऊर्जा में विशिष्ट व्यापार की अनुमति के लिए, एक अतिरिक्त ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) उपलब्ध है। प्रतिभागी अपनी बोली दो खंडों अर्थात्, अपनी पात्रता मापदंडों के आधार पर जीडीएएम और डीएएम में क्रय अथवा विक्रय के लिए इच्छुक मात्रा तथा मूल्य में प्रस्तुत करते हैं। प्रतिभागियों के पास चुनने का विकल्प है यदि वे जीडीएएम से डीएएम में अचयनित मात्रा को हस्तांतरित करना चाहते हैं और इसका अलग से मूल्य भी दे सकते हैं। बाजार का समाशोधन अथवा मूल्य का निर्धारण क्रमिक रूप से होता है अर्थात, पहले जीडीएएम का समाशोधन किया जाता है और उसके बाद डीएएम का समाशोधन किया जाता है। जीडीएएम में खरीददार द्वारा क्रय की गई विद्युत के आधार पर खरीददार आरपीओ क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। डीएएम में समाशोधित किए गए आरई विक्रेता आरईसी जारी करने का दावा कर सकते हैं। अक्तूबर, 2021 से जनवरी, 2023 तक जीडीएएम में कुल कारोबार 4186.64 मिलियन यूनिट (एमयू) है।

अगस्त, 2020 से कार्यरत ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जी-टीएएम) खंड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में व्यापार के लिए निविदा शामिल हैं। जी-टीएएम बाजार के भीतर तीन उप-खंड नामतः सौर, गैर-सौर और हाइड्रो शामिल हैं। सौर उप-खंड में, केवल सौर ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत का व्यापार किया जाता है एवं गैर-सौर उप-खंड में, सौर ऊर्जा स्रोतों के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत का व्यापार किया जाता है तथा हाइड्रो उप-खंड में, केवल जल विद्युत स्रोतों से उत्पादित विद्युत का व्यापार किया जाता है, जो जल-विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) के अनुपालन के लिए पात्र है। इस खंड के अंतर्गत, आरई का कारोबार इंट्रा-डे, डे अहैड आकस्मिकता, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और किसी भी दिन के एकपक्षीय निविदा की समय-सीमा के लिए किया जा सकता है जो प्रतिभागियों की आवश्यकता के अनुसार 90 दिनों तक विद्युत की लचीली खरीद उपलब्ध कराता है। अगस्त, 2020 से जनवरी, 2023 तक जीटीएएम में कुल कारोबार 8509.49 मिलियन यूनिट (एमयू) है।

जी-डीएएम और जी-टीएएम खंडों में माह-वार व्यापार संबंधी ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

आरई के क्रय और विक्रय के लिए बाजार आधारित अवसर नई आरई सक्षमताओं के तेजी से विस्तार में मदद करेंगे क्योंकि इससे आरई परियोजनाओं की व्यवहार्यता में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जी-डीएएम क्षेत्र में माह-वार व्यापार (आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स सहित) नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रम सं	माह	क्रय (एमयू)
1	अक्तूबर-21	19
2	नवंबर-21	149
3	दिसंबर-21	157
4	जनवरी-22	198
5	फरवरी-22	191
6	मार्च-22	205
7	अप्रैल-22	214.73
8	मई-22	493.17
9	जून-22	362.23
10	जुलाई-22	446.58
11	अगस्त-22	320.50
12	सितंबर-22	324.64
13	अक्तूबर-22	292.92
14	नवंबर-22	288.27
15	दिसंबर-22	237.97
16	जनवरी-23	285.15
	कुल योग	**4186.64**

जी-टीएएम क्षेत्र में माह-वार व्यापार (आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स सहित) नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रम सं	माह	क्रय (एमयू)
1	अगस्त-20	2.93
2	सितंबर-20	82.85
3	अक्तूबर-20	208.39
4	नवंबर-20	164.28
5	दिसंबर-20	89.78
6	जनवरी-21	92.40
7	फरवरी-21	93.73
8	मार्च-21	51.46
9	अप्रैल-21	191.69
10	मई-21	357.74
11	जून-21	439.34
12	जुलाई-21	741.63

13	अगस्त-21	445.27
14	सितंबर-21	602.53
15	अक्तूबर-21	422.69
16	नवंबर-21	422.19
17	दिसंबर-21	447.88
18	जनवरी-22	237.65
19	फरवरी-22	655.52
20	मार्च-22	497.46
21	अप्रैल-22	328.74
22	मई-22	535.36
23	जून-22	234.02
24	जुलाई-22	193.43
25	अगस्त-22	177.98
26	सितंबर-22	154.69
27	अक्तूबर-22	141.27
28	नवंबर-22	153.23
29	दिसंबर-22	221.89
30	जनवरी-23	121.48
	कुल योग	**8,509.49**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आंकड़े मिलियन यूनिट में (एमयू)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जी-डीएएम		जी-टीएएम		कुल	
		क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
1	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	दिल्ली	204.66	3.46	59.61	18.30	264.28	21.75
3	हिमाचल प्रदेश	2.58	31.29	0.00	91.89	2.58	123.19
4	हरियाणा	79.63	0.01	65.97	0.00	145.60	0.01
5	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	84.97	0.00	11.91	0.00	96.88
6	पंजाब	386.47	0.00	0.75	0.00	387.22	0.00
7	राजस्थान	25.93	27.56	2.29	21.81	28.21	49.36
8	उत्तराखंड	2.53	0.00	5.75	0.00	8.28	0.00
9	उत्तर प्रदेश	111.53	22.95	134.17	0.66	245.70	23.61
10	आंध्र प्रदेश	4.01	839.60	7.71	1.63	11.72	841.23
11	कर्नाटक	128.69	539.39	0.00	731.47	128.69	1270.86
12	केरल	55.46	24.21	0.00	0.20	55.46	24.41
13	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	तेलंगाना	8.28	202.99	0.00	74.70	8.28	277.68
15	तमिलनाडु	39.53	0.11	0.00	0.00	39.53	0.11
16	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	डीवीसी	230.35	0.00	27.62	10.50	257.97	10.50
18	झारखंड	114.80	0.00	0.00	0.00	114.80	0.00
19	ओडिशा	76.23	0.00	447.27	0.00	523.50	0.00
20	सिक्किम	0.00	5.01	0.00	0.90	0.00	5.92
21	पश्चिम बंगाल	37.12	0.00	58.32	0.00	95.44	0.00
22	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	140.80	0.00	74.91	0.93	215.71	0.93
24	गोवा डब्ल्यूआर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	गुजरात	317.40	0.00	289.49	27.14	606.89	27.14
26	मध्य प्रदेश	87.87	133.15	0.00	20.51	87.87	153.66
27	महाराष्ट्र	353.70	41.76	156.53	0.00	510.23	41.76
28	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	असम	151.03	0.00	0.00	0.00	151.03	0.00
30	मेघालय	5.80	0.00	0.23	0.00	6.04	0.00
31	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**2564.40**	**1956.46**	**1330.62**	**1012.55**	**3895.02**	**2969.01**

*आंकड़े इस अवधि के लिए हैं: अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 तक

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1237
जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

हरियाणा के सभी गांवों में बिजली

1237. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हरियाणा के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पूरी तरह से लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक कितने गांवों में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरी तरह से लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर बिजली की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची में शामिल है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण करना वितरण कंपनियों तथा संबंधित राज्य सरकारों और/अथवा राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है। हाल ही में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को वित्तीय सहायता दी गई है तथा इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि सुधारों की शुरुआत करने और परिणामों की उपलब्धि से जुड़ी हुई है, जिसमें शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के घंटों में सुधार करने के लिए ट्रेजेक्टरियाँ भी शामिल हैं।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज़) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के बाद से 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले नियोजित व्यवधानों और बाधाओं को छोड़कर 24x7 विद्युत आपूर्ति करने का दावा करते हैं।

हरियाणा के डिस्कॉम अर्थात उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) ने सूचित किया है कि यूएचबीवीएन के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले 3590 गांवों में से 3263 गांवों को 24x7 घंटे आपूर्ति मिल रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सूचित किया है कि डीएचबीवीएन के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले 3665 गांवों में से 2431 गांवों को 24x7 घंटे आपूर्ति मिल रही है।

हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के सभी गांवों को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने की आयोजना की है।

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गांवों को विश्वसनीय और चौबीसों घंटे आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए नए ट्रांसफार्मरों की संस्थापना तथा मौजूदा ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मर का संवर्धन करना।
ii. घिसे हुए कंडक्टर को बदलना।
iii. 33 केवी सबस्टेशन पर स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर का निर्माण और वृद्धि।
iv. ओवरहैड कंडक्टर के स्थान पर केबल लगाना।
v. उपभोक्ता के परिसरों के बाहर मीटरों की संस्थापना करना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1245

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

1245. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री महेश साहू:

श्री राहुल कस्वां:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महाराष्ट्र तथा ओडिशा के विभिन्न जिलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो अब तक प्राप्त लक्ष्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार प्रतिशत क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) महाराष्ट्र और ओडिशा सहित देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित, संस्वीकृत और व्यय की गई है; और

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में अ.जा./अ.ज.जा. बहुल कितने पिछड़े जिलों/गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने प्रत्येक आवासित गांव को विद्युत से जोड़ने तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारंभ की। देश भर में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आवासित गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई। महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य में डीडीयूजेजवाई के अंतर्गत कार्य पूरे हो गए हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, निर्धारित किए गए लक्ष्यों और सृजित अवसंरचना के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना के जिले-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई, जो अब दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है, के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किश्तों में जारी की गई निधियों के सूचित किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर निधियां किश्तों में जारी की गई थी। डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत और व्यय की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए।

****

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई (नई+अतिरिक्त इंफ्रा)

वर्ष 2014-15 से सृजित राज्य-वार वास्तविक अवसंरचना

दिनांक 31.03.2022

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित वास्तविक अवसंरचना																											
		सब-स्टेशन नए (सं.)			सब-स्टेशन संवर्धन (सं.)			वितरण ट्रांसफॉर्मर (सं.)			एलटी लाइन (सीकेएम)			एचटी लाइन (सीकेएम)			फीडर पृथककरण (सीकेएम)			उपभोक्ता मीटर (सं.)			डीटी मीटर (सं.)			फीडर मीटर (सं.)		
		लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%	लक्ष्य	उप.	%
1	अंडमान एवं निकोबार																			39200	39200	100%						
2	आंध्र प्रदेश	204	204	100%				18869	18869	100%	8055	8055	100%	6055	6054	100%				15779	15779	100%	3618	3618	100%	342	342	100%
3	अरूणाचल प्रदेश	5	5	100%				1928	1928	100%	3030	3030	100%	2692	2692	100%				95522	95522	100%	1623	1623	100%	377	377	100%
4	असम	22	22	100%	13	13	100%	21932	21932	100%	40081	40081	100%	16273	16273	100%							17118	17118	100%	257	257	100%
5	बिहार	288	288	100%	9	9	100%	82432	82432	100%	73782	73782	100%	25340	25340	100%	16735	16735	100%	2534576	2534576	100%						
6	छत्तीसगढ़	80	80	100%	82	82	100%	12176	12176	100%	13372	13372	100%	8313	8313	100%	4714	4714	100%	52819	52819	100%	837	837	100%	3390	3390	100%
7	दादरा एवं नगर हवेली													21	21	100%				300	300	100%	350	350	100%			
8	दिल्ली																											
9	गोवा							21	21	100%	56	56	100%	13	13	100%				94187	94187	100%						
10	गुजरात	15	15	100%	28	28	100%	18533	18533	100%	22070	22070	100%	10858	10858	100%				1656252	1656252	100%	57624	57624	100%			
11	हरियाणा	14	14	100%	19	19	100%	2761	2761	100%	1970	1970	100%	1432	1432	100%	184	184	100%	83723	83723	100%						
12	हिमाचल प्रदेश	14	14	100%	16	16	100%	315	315	100%	1452	1452	100%	345	345	100%	10	10	100%	122825	122825	100%	381	381	100%	15	15	100%
13	जम्मू एवं कश्मीर	20	20	100%	13	13	100%	7209	7209	100%	21091	21091	100%	5210	5210	100%	139	139	100%				280	280	100%			
14	झारखंड	109	109	100%	96	96	100%	56480	56480	100%	47430	47430	100%	16302	16302	100%	5577	5577	100%	348541	348541	100%				1017	1017	100%
15	कर्नाटक	4	4	100%	3	3	100%	13215	13215	100%	9000	9000	100%	10807	10807	100%	11783	11783	100%	2088412	2088412	100%	23790	23790	100%			
16	केरल	2	2	100%	6	6	100%	598	598	100%	3473	3473	100%	1287	1287	100%				2063687	2063687	100%	23436	23436	100%	97	97	100%
17	लद्दाख	1	1	100%				144	144	100%	432	432	100%	560	560	100%												
18	मध्य प्रदेश	145	145	100%	314	314	100%	41590	41590	100%	50069	50069	100%	30059	30059	100%	7086	7086	100%	436082	436082	100%				242	242	100%
19	महाराष्ट्र	210	210	100%	150	150	100%	11943	11943	100%	13213	13213	100%	7009	7009	100%	8871	8871	100%									
20	मणिपुर							937	937	100%	1664	1664	100%	793	793	100%				100000	100000	100%						
21	मेघालय	9	9	100%	2	2	100%	1825	1825	100%	9134	9134	100%	1616	1616	100%							999	999	100%	179	179	100%
22	मिजोरम				4	4	100%	368	368	100%	399	399	100%	432	432	100%				19133	19133	100%				232	232	100%
23	नागालैंड	6	6	100%				475	475	100%	719	719	100%	718	718	100%							697	697	100%	191	191	100%
24	ओडिशा	12	12	100%	164	164	100%	14228	14228	100%	11417	11417	100%	7146	7146	100%	1240	1240	100%	2271702	2271702	100%				902	902	100%
25	पुदुचेरी							28	28	100%	8	8	100%	38	38	100%				75609	75609	100%	1250	1250	100%			
26	पंजाब							7912	7912	100%	246	246	100%	3268	3268	100%	2032	2032	100%	189656	189656	100%						
27	राजस्थान	231	231	100%	85	85	100%	127534	127534	100%	78652	78652	100%	31603	31603	100%	6396	6396	100%	8125	8125	100%				1476	1476	100%
28	सिक्किम							373	373	100%	924	924	100%	380	380	100%				45969	45969	100%				65	65	100%
29	तमिलनाडु	106	106	100%	128	128	100%	1189	1189	100%	1174	1174	100%	3052	3052	100%	797	797	100%	1195856	1195856	100%						
30	तेलंगाना	86	86	100%				9162	9162	100%	8164	8164	100%	1895	1895	100%										1435	1435	100%
31	त्रिपुरा	4	4	100%				1262	1262	100%	2589	2589	100%	1810	1810	100%				161728	161728	100%						
32	उत्तर प्रदेश	265	265	100%	1091	1091	100%	148339	148339	100%	83590	83590	100%	32888	32888	100%	36337	36337	100%	2095542	2095542	100%	83316	83316	100%	1832	1832	100%
33	उत्तराखंड	1	1	100%				3818	3818	100%	5935	5935	100%	1796	1796	100%	1429	1429	100%	20882	20882	100%						
34	पश्चिम बंगाल	80	80	100%	133	133	100%	23003	23003	100%	40401	40401	100%	6531	6531	100%	9424	9424	100%	2977996	2977996	100%	17159	17159	100%	2757	2757	100%
कुल जोड़		**1933**	**100%**	**2356**	**2356**	**100%**	**630599**	**630599**	**100%**	**553592**	**553592**	**100%**	**236540**	**236540**	**100%**	**112755**	**112755**	**100%**	**18794103**	**18794103**	**100%**	**232478**	**232478**	**100%**	**14806**	**14806**	**100%**			

****

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र (जिला-वार) में वास्तविक प्रगति के संबंध में उपलब्धि

(दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	योजना	नए सब-स्टेशन	सवंर्धन सब-स्टेशन	वितरण ट्रांसफॉर्मर	लाइन (सीकेएम)			फीडर पृथक्करण		सांसद आदर्श ग्राम योजना (संचयी)	मीटरिंग (सं.)		
						एलटी	11 केवी (फीडर पृथक्करण सहित)	33/66 केवी	सं.	सीकेएम		उपभोक्ता	डीटीआर	फीडर
			सं.	सं.	सं.									
1	अहमदनगर	डीडीयूजीजेवाई	2	3	297	154.08	99.63	12.66	27	129.	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	318	1389.64	126.42	0	0	0	0	0	0	0
2	अकोला	डीडीयूजीजेवाई	5	8	156	20.0	29.27	65.64	17	133.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	4	6.0	0.28	0	0	0	0	0	0	0
3	अमरावती	डीडीयूजीजेवाई	11	6	329	70.	132.31	172.02	0	252.	12	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	18	68.8	5.18	0	0	0	0	0	0	0
4	औरंगाबाद	डीडीयूजीजेवाई	19	14	645	251.	125.52	154.7	0	801.	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	168	129.25	27.57	0	0	0	0	0	0	0
5	भंदारा	डीडीयूजीजेवाई	5	3	90	69.2	19.02	33.3	0	150.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बीड़	डीडीयूजीजेवाई	5	3	419	527.64	114.99	43.84	0	304.	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	323	560.07	134.18	0	0	0	0	0	0	0
7	बुलढाणा	डीडीयूजीजेवाई	8	5	175	56.5	47.84	68.91	11	207.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				
8	चंद्रपुर	डीडीयूजीजेवाई	10	3	328	80.5	95.83	149.73	0	507.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	धुले	डीडीयूजीजेवाई	9	3	227	29.0	44.03	76.29	0	236.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	119	138.77	44.53	0	0	0	0	0	0	0
10	गडचिरोली	डीडीयूजीजेवाई	3	2	225	49.7	26.49	31.43	0	326.	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	35	105.21	19.67	0	0	0	0	0	0	0
11	गोंदिया	डीडीयूजीजेवाई	8	6	434	164.13	73.79	75.04	0	657.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				
12	हिंगोली	डीडीयूजीजेवाई	8	3	111	192.	40.91	50.35	0	1	0	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	231	219.92	73.95	0	0	0	0	0	0	0
13	जलगांव	डीडीयूजीजेवाई	6	8	276	65.0	110.48	61.9	61	432.	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	546	778.34	191.96	0	0	0	0	0	0	0
14	जालना	डीडीयूजीजेवाई	16	0	403	190.53	124.39	192.91	0	753.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	65	51.	38.52	0	0	0	0	0	0	0
15	कोल्हापुर	डीडीयूजीजेवाई	2	6	97	98.9	31.76	24.48	0	23	3	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	लातूर	डीडीयूजीजेवाई	6	11	346	251.61	111.9	43	0	370.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	128	243.71	36.21	0	0	0	0	0	0	0
17	नागपुर	डीडीयूजीजेवाई	18	8	861	166.62	151.35	221.37	0	881.	4	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	1	0.6	0.12	0	0	0	0	0	0	0
18	नांदेड़	डीडीयूजीजेवाई	12	6	320	274.47	69.09	81.86	0	395.	3	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	33	165.52	20.83	0	0	0	0	0	0	0
19	नंदुरबार	डीडीयूजीजेवाई	4	1	237	87.	57.36	28.66	0	3	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	418	1680.27	319.09	0	0	0	0	0	0	0
20	नासिक	डीडीयूजीजेवाई	3	0	91	10.5	19.27	65.11	68	229.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	240	529.27	35.22	0	0	0	0	0	0	0
21	ओसमानाबाद	डीडीयूजीजेवाई	9	2	175	76.7	82.21	73.63	0	357.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	183	200.57	36.06	0	0	0	0	0	0	0
22	परभनी	डीडीयूजीजेवाई	11	5	101	94.8	76.67	65.35	0	333.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	46	36.8	11.76	0	0	0	0	0	0	0
23	पुणे	डीडीयूजीजेवाई	4	8	188	62.2	249.64	38.7	0	14	3	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	148.01	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पुणे II	डीडीयूजीजेवाई	1	5	20	41.7	32.78	4.77	0	0	8	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				
25	रायगढ़	डीडीयूजीजेवाई	0	0	331	268.46	185.54	0	0	0	5	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0
26	रायगढ़ II	डीडीयूजीजेवाई	2	0	78	176.29	70.28	32.32	0	0	0	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				
27	रत्नागिरि	डीडीयूजीजेवाई	2	3	139	255.	278.28	203.55	0	0	3	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	9	217.46	7.46	0	0	0	0	0	0	0
28	सांगली	डीडीयूजीजेवाई	3	3	191	252.58	71.91	35.93	0	33	1	0	0	0
29	सतारा	डीडीयूजीजेवाई	0	4	50	140.97	104.7	12	0	11	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	143.82	1.92	0	0	0	0	0	0	0
30	सिंधुदुर्ग	डीडीयूजीजेवाई	1	6	344	306.81	327.22	22.91	0	0	3	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				

31	सोलापुर	डीडीयूजीजेवाई	0	0	225	191.	7.02	0	0	0	2	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	174.34	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ठाणे	डीडीयूजीजेवाई	4	2	81	87.2	138.04	82.07	0	0	6	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	175	931.06	140.41	0	0	0	0	0	0	0
33	ठाणे II	डीडीयूजीजेवाई	2	0	55	91.5	12.44	0	0	0	0	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				
34	ठाणे III	डीडीयूजीजेवाई	0	0	104	79	31	0	0	0	0	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा				0	0	0		0				
35	वर्धा	डीडीयूजीजेवाई	2	1	146	28.4	22.91	15.04	0	126.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वाशिम	डीडीयूजीजेवाई	3	2	212	153.72	30.86	38.44	0	15	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
37	यवतमाल	डीडीयूजीजेवाई	6	10	376	78.1	113.04	99.73	0	555.	1	0	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सभी जिला	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योजना-वार कुल	डीडीयूजीजेवाई	**210**	**150**	**8883**	**519**	**3360**	**2378**	**18**	**8**	**80**	**0**	**0**	**0**
	योजना-वार कुल	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	**0**	**0**	**3060**	**801**	**1271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल जोड़		**डीडीयूजीजेवाई+ अतिरिक्त**	**210**	**150**	**11943**	**13213**	**4631**	**2378**	**18**	**88**	**80**	**0**	**0**	**0**

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ओडिशा (जिला-वार) में वास्तविक प्रगति के संबंध में उपलब्धि

(दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	योजना	नए सब-स्टेशन	संवर्धन सब-स्टेशन	वितरणट्रांसफॉर्मर	लाइन (सीकेएम)			फीडर पृथक्करण		सांसद आदर्श ग्राम योजना (संचयी)	मीटरिंग (सं.)		
			सं.	सं.	सं.	एलटी	11 केवी (फीडर पृथक्करण सहित)	33/66 केवी	सं.	सीकेएम		उपभोक्ता	डीटीआर	फीडर
1	अनुगुल	डीडीयूजीजेवाई	0	3	116	65.47	370.83	112.72	0	0	0	14307	0	40
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बलांगीर	डीडीयूजीजेवाई	2	8	53	36	491	160	0	0	2	101739	0	39
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बालेश्वर	डीडीयूजीजेवाई	0	20	669	1095.	160.56	33.76	0	178.41	1	164294	0	23
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बारगढ़	डीडीयूजीजेवाई	1	8	154	21.24	44.49	124.63	0	90.46	1	115142	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बौध	डीडीयूजीजेवाई	0	2	31	9.57	26.16	67.1	0	106.07	0	59251	0	48
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	भद्रक	डीडीयूजीजेवाई	0	20	174	290	30.39	42.64	0	100.99	1	82042	0	17
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	कटक	डीडीयूजीजेवाई	1	4	233	177.0	92.81	51.53	4	32.54	4	31096	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	देबगढ़	डीडीयूजीजेवाई	0	2	4	3.82	7.25	17.23	0	0	0	23961	0	31
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ढेंकनाल	डीडीयूजीजेवाई	0	0	33	20.09	181.5	35.77	7	86.56	0	19965	0	32
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	गजपति	डीडीयूजीजेवाई	0	8	9	0	0	0	0	16.35	0	45240	0	36
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गंजम	डीडीयूजीजेवाई	0	8	230	137.0	127.48	42.87	0	132.41	2	277547	0	213
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	जगतसिंहपुर	डीडीयूजीजेवाई	0	0	130	120.9	145.96	30.65	2	62.19	3	24347	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	जाजापुर	डीडीयूजीजेवाई	0	14	64	59.62	45.47	20.44	0	0	3	141384	0	2
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	झारसुगुडा	डीडीयूजीजेवाई	1	2	0	0	16.49	29.7	0	0	0	81271	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	कालाहांडी	डीडीयूजीजेवाई	1	6	37	9	125.05	102.76	0	0	1	75458	0	7
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	कंधमाल	डीडीयूजीजेवाई	0	7	16	10.82	14	46.52	0	0	0	69195	0	86
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	केंद्रपाड़ा	डीडीयूजीजेवाई	0	0	57	44.3	339.16	52.34	0	31.47	1	4316	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	केंदुझार	डीडीयूजीजेवाई	0	8	11	105.8	8.52	36.09	0	37.64	1	81601	0	1
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	खोरधा	डीडीयूजीजेवाई	2	1	3	0.5	63.4	37.26	3	10.1	1	13561	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	कोरापुट	डीडीयूजीजेवाई	0	5	64	32.88	79.87	47.97	0	0	2	118854	0	115
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मल्कानगिरी	डीडीयूजीजेवाई	0	3	72	65.44	69.31	72.76	0	0	0	62078	0	65
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मयूरभंज	डीडीयूजीजेवाई	0	9	13	82.86	16.32	48.57	0	21.15	1	123465	0	7
22	मयूरभंज	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	नबरंगपुर	डीडीयूजीजेवाई	0	1	71	36.99	38.91	35.61	0	31.28	0	171642	0	53
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	नयागढ़	डीडीयूजीजेवाई	0	3	82	52.93	155.09	36.05	0	0	4	4422	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नुआपाड़ा	डीडीयूजीजेवाई	0	3	20	2.39	39.45	26.65	0	0	1	42088	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	पुरी	डीडीयूजीजेवाई	2	2	286	153.3	73.45	55.35	0	0	0	18497	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	रायगढ़	डीडीयूजीजेवाई	0	4	403	92.43	182.05	65.44	0	247.43	0	113940	0	74
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	संबलपुर	डीडीयूजीजेवाई	1	6	115	74.45	242.98	36.69	0	0	1	66174	0	0
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	सुबरनपुर	डीडीयूजीजेवाई	0	3	90	52.05	146.07	14.57	0	54.84	0	41785	0	9
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सुंदरगढ़	डीडीयूजीजेवाई	1	4	45	40.12	58.04	63.54	0	0	0	83040	0	4
		डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सभी जिला	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	0	0		8524.	2206.88	0	0	0	0	0	0	0
	डीडीजी	डीडीजी ऑफग्रिड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योजना-वार कुल	डीडीयूजीजेवाई	**12**	**164**	**3285**	**2892**	**3392**	**1547**	**16**	**1240**	**30**	**2271702**	**0**	**902**
	योजना-वार कुल	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	**0**	**0**		**8525**	**2207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	योजना-वार कुल	**डीडीजी ऑफग्रिड**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल योग	**डीडीयूजीजेवाई+ अतिरिक्त इंफ्रा**	**12**	**164**	**14228**	**11417**	**5599**	**1547**	**16**	**1240**	**30**	**2271702**	**0**	**902**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृतियां और उपलब्धि (31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)							
क्रम सं.	राज्यों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत मूल घर	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		कुल जोड़
		दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की सं.	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की सं.	दिनांक 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की सं.	संस्वीकृत अतिरिक्त घर	दिनांक 31.03.2022 तक विद्युतीकृत किए गए अतिरिक्त घर	
1	*2*	*3*	*4*	*5=3+4*	*6*	*7*	*8=5+7*
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			**181,930**
2	अरूणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	**47,089**
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	**2,326,656**
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			**3,259,041**
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	**792,368**
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			**41,317**
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			**54,681**
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			**12,891**
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			**377,045**
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			**1,730,708**
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			**383,798**
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			**10,456**
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	**1,984,264**
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			**1,517,922**
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	**108,115**
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	**200,240**
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			**27,970**
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	**139,516**
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			**2,452,444**
20	पुद्दुचेरी*	912	0	912			**912**
21	पंजाब	3,477	0	3,477			**3,477**
22	राजस्थान (जयपुर)	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	**2,127,728**
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			**14,900**
24	तमिलनाडु *	2,170	0	2,170			**2,170**
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			**515,084**
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			**139,090**
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	**9,180,571**
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			**248,751**
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			**732,290**
	कुल	**26,284,350**	**1,885,374**	**28,169,724**	**1,183,870**	**4,43,700**	**2,86,13,424**
*सौभाग्य से पहले विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं							

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1254

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

जल विद्युत अवसंरचना परियोजनाएं

1254. श्री जय प्रकाश:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जोशीमठ के निवासियों ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत अवसंरचना परियोजना को भूमि धंसने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जोशीमठ में भूमि धंसने का मामला काफी पुराना है। इसे काफी पहले वर्ष 1976 में महसूस किया गया था। इस पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान दिया गया था और उन्होंने जोशीमठ में भूमि की अस्थिरता के कारणों की जांच करने के लिए श्री एम.सी. मिश्रा, आयुक्त, गढ़वाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने पाया कि जोशीमठ मूल चट्टानों पर स्थित नहीं है। यह पतली अभ्रकीय रेतीली तथा मिट्टी की सामग्री के अव्यवस्थित मैट्रिक्स में बड़े अस्थिर बोल्डरों के ऋतुक्षरित, भू-स्खलन निर्मित ढेर पर स्थित है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय हैं जो परतदार शैलीय एवं क्वार्ट्ज पत्थर की हैं। धंसने/दरारों का संभावित कारण पहाड़ बहना, बहने का स्वाभाविक कोण, रिसाव तथा मिट्टी के कटाव के कारण खेती संबंधी क्षेत्र हो सकता है। समिति ने रिसाव से बचने के लिए खुले नाले के पानी को रोकने, सोखने वाले गड्ढों को बंद करने और सीवरेज प्रवाह के लिए कंक्रीट सीवेज लाइन के निर्माण की सिफारिश की।

4x130 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड एचईपी का निर्माण कार्य वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (वैपकोस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), नेशनल कॉसिल ऑफ सिस्मिक डिजाइन पैरामीटर (एनसीएसडीपी) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानिक निकायों/एजेंसियों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव के लिए विस्तृत अध्ययनों, भूवैज्ञानिक अध्ययनों, जल वैज्ञानिक अध्ययनों भूकंपीय अध्ययनों के पश्चात तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति से नवंबर, 2006 में शुरू हुआ। परियोजना का वास्तविक निर्माण वर्ष 2005 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करने के बाद ही आरंभ हुआ।

जोशीमठ नगर में निरंतर धंसाव होने के कारण, जिला अधिकारी (चमोली) द्वारा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीबीआरआई), आईआईटी रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए अगस्त, 2022 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट में जोशीमठ में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के कारण भूमि धंसने का कोई उल्लेख नहीं है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1256
जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना

1256. श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत शामिल विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत वितरित स्मार्ट मीटरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ओडिशा राज्य में इसके कार्यान्वयन संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा 5 वर्ष की अवधि अर्थात (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के लिए केंद्र सरकार से अनुमानित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का लक्ष्य सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक के अखिल भारतीय स्तर पर लाना तथा वर्ष 2024-25 तक औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)-औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के अंतर को शून्य तक कम करना है।

इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं: भाग 'क' - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं प्रणाली मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता और भाग 'ख' - प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षमकारी एवं सहायक गतिविधियाँ करना। वितरण अवसंरचना के उन्नयन तथा पूर्व-निर्धारित मापदंडों को पूरा करने और सुधारों में आधारभूत न्यूनतम बेंचमार्क हासिल करने के आधार पर डिस्कॉमों को प्रीपेड स्मार्ट उपभोक्ता मीटरिंग एवं प्रणाली मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)-2015 के साथ-साथ एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीनदयाल उपाध्यय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी स्कीमों को उनके मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तथा उनके मौजूदा निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने के लिए इस स्कीम में समाहित किया जा रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत, किसी भी प्रकार की नई

परियोजना संस्वीकृत नहीं की जाएगी, लेकिन आरडीएसएस के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पहले से संस्वीकृत परियोजनाएं निधि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। तथापि, आईपीडीएस के अंतर्गत, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं तथा पीएमडीपी 2015 के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक निधियां प्राप्त हो जाएंगी।

(ख) : अब तक, आरडीएसएस की निगरानी समिति की सोलह (16) बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें 46 डिस्कॉमों (28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) की कार्य योजनाओं तथा डीपीआर को अनुमोदित किया गया है, जहां ~20.46 करोड़ प्री-पेड स्मार्ट उपभोक्ता मीटर, ~54 लाख स्मार्ट डीटी मीटर और ~1.98 लाख स्मार्ट फीडर मीटर संस्वीकृत किए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्मार्ट मीटरों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निजी क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर सभी राज्य की स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत विभाग आरडीएसएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ओडिशा के सभी 4 डिस्कॉम निजी क्षेत्र (51% निजी शेयर और 49% ओडिशा सरकार का शेयर) की श्रेणी में आते हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत ओडिशा से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1256 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपभोक्ता स्मार्ट मीटर

राज्य	उपभोक्ता मीटर (सं.)	डीटी मीटर (सं.)	फीडर मीटर (सं.)
आंध्र प्रदेश	56,08,846	2,93,140	17,358
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	10,116	688
असम	57,44,698	77,547	2,782
बिहार	23,50,000	2,50,726	6,427
छत्तीसगढ़	59,62,115	2,10,644	6,720
गोवा	7,41,160	8,369	827
गुजरात	1,64,81,871	3,00,487	5,229
हरियाणा	74,05,618	1,95,319	13,204
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	39,012	1,951
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	88,037	2,608
झारखंड	13,41,306	19,512	1,226
केरल	1,32,89,361	87,615	6,025
लद्दाख	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	4,06,503	8,411
महाराष्ट्र	2,35,64,747	4,10,905	29,214
मणिपुर	1,54,400	11,451	357
मेघालय	4,60,000	11,419	1,324
मिजोरम	2,89,383	2,300	398
नागालैंड	3,17,210	6,276	392
पुदुचेरी	4,03,767	3,105	180
पंजाब	87,84,807	1,84,044	12,563
राजस्थान	1,42,74,956	4,34,608	27,128
सिक्किम	1,44,680	3,229	633
तमिलनाडु	3,00,00,000	4,72,500	18,274
त्रिपुरा	5,47,489	14,908	473
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	15,26,801	20,874
उत्तराखंड	15,84,205	38,016	1,686
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	3,05,419	11,874
कुल जोड़	**20,46,23,182**	**54,12,008**	**1,98,826**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1275
जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

ग्राम उजाला योजना

1275. श्री हरीश द्विवेदी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उजाला योजना का ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त योजना अब तक कार्यान्वित की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने ग्राम उजाला कार्यक्रम कार्यान्वित किया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब के हिसाब से, क्रमश: 60 वॉट और 100 वॉट के उद्दीप्त बल्बों के बदले, 7 वॉट तथा 12 वॉट के ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरित किए गए। ग्राम उजाला के अंतर्गत, एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना (5 राज्यों) के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। ग्राम उजाला की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत वितरण कार्य पूरा हो गया है तथा वर्तमान में, कोई भी वितरण संबंधी गतिविधि नहीं चल रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1286

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

विद्युतीकृत गांव

1286. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात सहित देश में बिजली क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और गुजरात सहित देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत समाहित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई है।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किश्तों में जारी की गई राशि के सूचित किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किश्तों में निधियां जारी की गई थीं। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए थे। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1286 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त इन्फ्रा सहित) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार वितरित अनुदान

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	आंध्र प्रदेश	165	177	8	8	85	444
2	अरुणाचल प्रदेश	81	160	37	32	150	459
3	असम	408	1082	661	416	373	2,939
4	बिहार	763	2412	682	830	1,280	5,967
5	छत्तीसगढ	552	79	58	54	153	896
6	गुजरात	143	181	-	13	51	387
7	हरियाणा	45	22	50	5	54	176
8	हिमाचल प्रदेश	-	15	40	37	22	114
9	जम्मू एवं कश्मीर	57	527	65	35	112	796
10	झारखंड	862	1362	610	355	469	3,659
11	कर्नाटक	204	451	283	13	109	1,060
12	केरल	87	57	8	-	54	205
13	लद्दाख	8	15	24	-	41	88
14	मध्य प्रदेश	598	952	375	278	765	2,967
15	महाराष्ट्र	143	482	225	158	162	1,170
16	मणिपुर	33	41	46	50	118	287
17	मेघालय	58	155	165	61	112	550
18	मिजोरम	42	35	16	5	24	121
19	नागालैंड	24	55	24	11	51	165
20	ओडिशा	366	1369	330	122	395	2,583
21	पंजाब	15	42	115	16	35	223
22	राजस्थान	782	1246	273	116	497	2,915
23	सिक्किम	18	21	9	28	16	92
24	तमिलनाडु	2	244	56	-	100	402
25	तेलंगाना	60	61	74	-	64	259
26	त्रिपुरा	62	112	47	48	109	378
27	उत्तर प्रदेश	3149	3560	946	1,661	1,197	10,514
28	उत्तराखंड	33	270	269	5	3	580
29	पश्चिम बंगाल	241	1281	261	149	559	2,491
30	गोवा	-	3	7	-	2	12
31	दादरा एवं नगर हवेली	-	1	-	-	2	3
32	पुद्दुचेरी	-	0	5	3	1	10
33	अंडमान और निकोबार	1	-	-	2	3	7
	कुल	**9,002**	**16,469**	**5,767**	**4,511**	**7,170**	**42,919**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1294

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं का विकास

1294. श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किसी समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समझौते ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समझौते ज्ञापन के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश विशेषकर ओडिशा, महाराष्ट्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए चिन्हित स्थलों और स्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थलों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 03.01.2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू ग्रिड से जुड़े और/अथवा ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकास और/अथवा चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए समाधानों के लिए सहयोग करने की परिकल्पना करता है जो एचपीसीएल और/अथवा एनजीईएल या एनजीईएल एवं एचपीसीएल द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए किसी अन्य ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करेगा।

(ग) और (घ) : इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए अभी तक किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) : उपर्युक्त एमओयू के संदर्भ में अभी तक किसी प्रकार के स्थल/स्थान अभिचिन्हित नहीं किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1296

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

स्वच्छ विद्युत का उत्पादन

1296. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार हरित विद्युत की दिशा में एक कदम के रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से स्वच्छ विद्युत के उत्पादन की संभावना पर विचार कर रही है/विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसे संयंत्र स्थापित किए गए हैं अथवा स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या ऐसे संयंत्र ठीक से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने चरण-I के अंतर्गत 858 करोड़ रुपये के परिव्यय से दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उप-स्कीमें शामिल हैं:

(i) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम
(ii) बायोमास कार्यक्रम
(iii) बायोगैस कार्यक्रम

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ, बायोगैस पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना में सहयोग करता है। बायोगैस, गैसों, मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है।

उन स्थानों की राज्य-वार सूची, जहां ऐसे संयंत्रों की स्थापना की गई है, **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : बायोगैस से विद्युत उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियां भली-भांति स्थापित हैं तथा अपेक्षित गुणवत्तायुक्त फीडस्टॉक की निरंतर आपूर्ति और नियमित आधार पर उचित प्रचालन एवं रखरखाव सहित, ये संयंत्र उचित और दक्षतापूर्वक चलाए जा सकते हैं।

****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1296 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए बायो गैस की संस्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा:

क्रम सं.	**राज्य**	**परियोजनाओं की संख्या**	**राज्य के जिले जिन में परियोजनाएं अवस्थित हैं**
1.	आंध्र प्रदेश	12	पूर्वी गोदावरी, कृष्णा पश्चिमी गोदावरी विजयनगरम, विशाखापत्तनम
2.	छत्तीसगढ़	1	राजनंदगांव
3.	गुजरात	10	साबरकांठा राजकोट नवंगपुरा भरूच सूरत अहमदाबाद कच्छ
4.	हरियाणा	3	पलवल पानीपत जींद
5.	कर्नाटक	5	हावेरी बेलगाम मंड्या मैसूर
6.	मध्य प्रदेश	4	रायसेन जबलपुर
7.	महाराष्ट्र	16	नांदेड़ औरंगाबाद सांगली जलगांव सोलापुर धुले सोलापुर सांगली अहमदनगर रायगढ़
8.	पंजाब	7	पटियाला

			मुक्तसर पठानकोट लुधियाना फाजिल्का
9.	राजस्थान	1	अलवर
10.	तमिलनाडु	6	सलेम नमक्कल चेन्नई तिरुचिरापल्ली कुड्डालोर
11.	तेलंगाना	4	खम्मम नलगोंडा निजामाबाद वारंगल
12.	उत्तर प्रदेश	26	बस्ती गाज़ियाबाद रामपुर लखीमपुर खीरी मुरादाबाद मुजफ्फरनगर फैजाबाद गोरखपुर सहारनपुर बिजनौर बुलंदशहर सीतापुर लखनऊ
13.	उत्तराखंड	2	ऊधमसिंह नगर
कुल योग		**97**	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1315

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

1315. श्री सी.आर. पाटिलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयू-जीजेवाई) के अंतर्गत विकसित भौतिक अवसंरचना का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात में विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयू-जीजेवाई के अंतर्गत आवंटित और संवितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीआईवाई) के अंतर्गत विकसित वास्तविक अवसंरचना के जिला-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को धनराशि का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किश्तों में जारी की गई राशि के सूचित किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किश्तों में धनराशि जारी की गई थी। गुजरात राज्य में डीडीयूजीजेवाई (आरई एवं अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत आवंटित तथा संवितरित निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

गुजरात राज्य में डीडीयूजीजेवाई (आरई तथा अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किया गया अनुदान				
2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**कुल**	**उपयोग की गईं निधियां**
-	13	51	63	100%

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1315 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	परियोजना का नाम	योजना	सब-स्टेशन नए सं.	सब-स्टेशन संवर्धन	वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर सं.)	सर्किट किलो मीटर लाइन (सीकेएम)			मीटरिंग सं.		
						लो टेंशन लाइनें (एलटी)	11 केवी	33/66 केवी	उपभोक्ता	वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर सं.)	फीडर
1	अहमदाबाद	डीडीयूजीजेवाई	0	0	0	36.72	19.88	0	4590	0	0
2	अहमदाबाद-II	डीडीयूजीजेवाई	1	4	510	203.45	163.55	16.68	27020	826	0
3	अमरेली	डीडीयूजीजेवाई	0	0	1252	535.48	415.15	0	63963	1168	0
4	आनंद	डीडीयूजीजेवाई	1	0	489	684	338	5	141267	966	0
5	बनासकांठा	डीडीयूजीजेवाई	1	2	423	173.43	375.72	28.8	0	105	0
6	भरूच	डीडीयूजीजेवाई	1	6	579	1119	160	17	46639	3617	0
7	भावनगर	डीडीयूजीजेवाई	0	0	3037	719.15	980.47	0	76550	1732	0
8	दाहोद	डीडीयूजीजेवाई	0	0	920	1826	331	0	125136	3816	0
9	गांधीनगर	डीडीयूजीजेवाई	0	1	62	59.19	38.14	0	8136	496	0
10	जामनगर	डीडीयूजीजेवाई	0	0	2476	407.28	1375.91	0	65179	2484	0
11	जूनागढ़	डीडीयूजीजेवाई	0	0	514	1612.19	1431.52	0	94245	4524	0
12	कच्छ	डीडीयूजीजेवाई	0	0	795	766.44	591.26	0	85288	2400	0
13	खेड़ा	डीडीयूजीजेवाई	4	0	367	714	517	8	93207	877	0
14	महेसाणा	डीडीयूजीजेवाई	2	0	92	101.07	45.01	7.17	37192	404	0
15	नर्मदा	डीडीयूजीजेवाई	0	1	100	423	60.68	0	4200	1476	0
16	नवसारी	डीडीयूजीजेवाई	0	0	344	1431.3	160.24	0	7941	878	0
17	पंच महल	डीडीयूजीजेवाई	0	0	1109	1911.1	442	0	198764	5371	0
18	पाटन	डीडीयूजीजेवाई	1	2	55	68.04	40.99	6.17	16816	510	0
19	पोरबंदर	डीडीयूजीजेवाई	0	0	0	362.51	295.21	0	14938	835	0
20	राजकोट	डीडीयूजीजेवाई	0	0	2312	556.87	1312.02	0	99730	3364	0
21	साबरकांठा	डीडीयूजीजेवाई	2	8	78	1414.4	46.6	0	100188	1259	0
22	सूरत	डीडीयूजीजेवाई	0	4	600	1504.68	243.46	0	54663	7492	0
23	सुरेंद्रनगर	डीडीयूजीजेवाई	0	0	713	587.92	547.67	0	52683	2239	0
24	तापी	डीडीयूजीजेवाई	0	0	233	1496.01	118.6	0	18605	2632	0
25	डांग	डीडीयूजीजेवाई	0	0	135	221.79	74.61	0	4932	669	0
26	वडोदरा	डीडीयूजीजेवाई	2	0	890	1500	467	2	206702	7484	0
27	वलसाड	डीडीयूजीजेवाई	0	0	448	1635	175.1	0	7678	0	0
	योजना-वार कुल	**डीडीयूजीजेवाई**	**15**	**28**	**18533**	**22070.02**	**10766.79**	**90.82**	**1656252**	**57624**	**0**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1343
जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र/परियोजना

1343. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार चार राज्यों के लाभ के लिए बिहार के बांका जिले के कटोरिया ब्लॉक मुख्यालय में अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र/परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई/की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जिला बांका, बिहार में ककवाड़ा गांव के समीप विकास के लिए अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए, वर्ष 2013 में बिहार सरकार द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने, भारत सरकार के जीवाश्म ईंधनों से गैर-जीवाश्म ईंधनों की ओर पारगमन के प्रयास के आलोक में नई ताप विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए सीमित तरीके से अब केवल ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। तदनुसार, कोई भी नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएँ, जो बहुत बड़े आकार की हरित क्षेत्र परियोजनाएँ हैं, क्रियान्वित नहीं की जाएँगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1346

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

नए परंपरागत मीटर

1346. श्री विजय कुमार दुबेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में संस्थापित नए परंपरागत मीटरों के संबंध में कोई डाटा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, विशेषकर कुशीनगर जिले में सभी परंपरागत मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (मीटरों की संस्थापना और प्रचालन) विनियमों के अनुसार, सभी नए उपभोक्ता मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधायुक्त स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित किया जाना है। भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित, पूरे देश में केवल स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और अब कोई नए पारंपरिक मीटर नहीं लगाए गए हैं।

(ग) : दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में संस्थापित स्मार्ट मीटरों के जिले-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(घ) : हाल ही में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के डिस्कॉमों सहित पात्र डिस्कॉमों को, प्री-पेड स्मार्ट मीटरों को संस्थापित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 2,69,79,056 प्रीपेड स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कुशीनगर जिले के लिए 4,16,994 प्रीपेड स्मार्ट मीटर शामिल हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के संस्वीकृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

डिस्कॉम	**संस्वीकृत स्मार्ट मीटर**
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)	53,54,069
कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को)	6,25,001
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल)	75,28,737
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीएवीवीएनएल)	61,43,261
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल)	73,27,988
कुल	**2,69,79,056**

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में संस्थापित स्मार्ट मीटरों के जिले-वार ब्यौरे:

क्रम सं.	**जिला**	**एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा संस्थापित स्मार्ट मीटर**
1.	वाराणसी	1,81,447
2.	प्रयागराज	83,324
3.	गोरखपुर	56,662
4.	मेरठ	1,48,834
5.	सहारनपुर	49,892
6.	लखनऊ	3,01,981
7.	बाराबंकी	22,592
8.	बरेली	56,158
9.	मथुरा	84,321
10.	फिरोजाबाद	20,880
11.	अलीगढ़	42,790
12.	कानपुर	1,29,152
कुल		**11,78,033**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1357

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

मेघालय में सौभाग्य योजना

1357. श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मेघालय में सौभाग्य योजना के तहत आरंभ में लक्षित गांवों की कुल संक्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में लक्षित गांवों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो गांवों की संशोधित संख्या के साथ-साथ जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना पूरी हो गई है या अभी भी प्रगति पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारंभ की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, मेघालय राज्य के 1051 गांवों सहित, कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजेजवाई के अंतर्गत और, इसके बाद, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, सभी राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी गांवों तथा सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा करने की सूचना दी गई थी।

सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था, जिसमें दो चरणों में अतिरिक्त घर शामिल थे, जो पहले विद्युतीकरण के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन बाद में इच्छुक हो गए।

मेघालय राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक कुल 2,00,240 घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। मेघालय राज्य में सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों के जिले-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : मेघालय राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं।

नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और वितरण यूटिलिटियों द्वारा ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। भारत सरकार सभी घरों, जो सौभाग्य को संस्वीकृत किए जाने के समय मौजूद थे, के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और राज्यों को, इस संबंध में अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य (पोर्टल के अनुसार) की शुरूआत से विद्युतीकृत घरों तथा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों के ब्यौरे

जिला	पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त विद्युतीकृत	कुल विद्युतीकृत घर
पूर्वी खासी हिल्स	26762	115	26877
पश्चिमी गारो हिल्स	57991		57991
पश्चिमी जैंतिया हिल्स	29068	252	29320
पश्चिमी खासी हिल्स	24577	34	24611
पूर्वी गारो हिल्स	28835		28835
री भोई	21064		21064
दक्षिणी गारो हिल्स	11542		11542
कुल	**1,99,839**	**401**	**200240**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1377
जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव

1377. श्री बृजेन्द्र सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) हरियाणा में उक्त योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई है; और

(घ) हरियाणा में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली वितरण कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देश भर में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत गांवों को 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, कुल 18374 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई है। हरियाणा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांवों का डीडीयूजीजेवाई के शुभारंभ से पूर्व ही विद्युतीकरण कर दिया गया था।

(ख) : हरियाणा में वर्ष 2015 से दिनांक 31.03.2019 तक, डीडीयूजीजेवाई (आरई सहित) के अंतर्गत, कुल 5419 बीपीएल घरों को शामिल किया गया था।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को धनराशि का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किश्तों में जारी की गई राशि के सूचित किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किश्तों में निधियां जारी की गई थीं। उक्त स्कीम के अंतर्गत हरियाणा में जारी तथा उपयोग की गई निधियों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

हरियाणा में पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित तथा उपयोग किया गया अनुदान				
2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**कुल**	**उपयोग किया गया**
50	05	54	109	100%

(घ) : हरियाणा के दो डिस्कॉमों अर्थात दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) ने इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की।

****